

आज दिनांक १८/८/१५ को उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें ग्राम स्तरीय समिति वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली सङ्क भवरगढ़ से खावासी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या २..... जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है उसको उपखंड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा ३(२) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई तावे लंबित नहीं है अतः सर्वसम्मति से उक्त सङ्क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु ओभिशंग की जाती है। सङ्क के प्रस्तावित मार्ज में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सङ्क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सङ्क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	रामनगर नयागाँव	1.76	1.51
2	रणवासी	0.74	1.44
कुल		2.50 हेक्टेयर	2.95 हेक्टेयर

उपखंड अधिकारी
उपखंड अधिकारी
वननिवासी

किशनगंज/केलवाड़ा/भवरगढ़/नाहरगढ़

विकास अधिकारी
पंचायत समिति किशनगंज

रैंजर वन क्षेत्र

ग्राम सभा की बैठक में वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क
पंवरगढ़ दे रखा ~~है~~ के लिए प्राप्त प्रस्ताव को ग्राम स्तरीय

समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है।
अनुसृचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी
(वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(2)
के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर
कोई दावे लंबित नहीं हैं अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को
उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है।

आज दिनांक २५.०७.२०१८ को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क भवरगढ से रणवासी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या ३ का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वननिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा ३(२) के एवं नियम 2008 के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे लंबित नहीं हैं अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है। सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक १. पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में 50% से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गयी।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	रामनगर नवांगत	1.76	1.51
2	रणवासी	0.74	1.44
कुल		2.50 हेक्टेयर	2.95 हेक्टेयर

Ramdev Sodhi
सरपंच
ग्राम पंचान्तर चाखरा
पंचायत समिति किशनगंज

रामनगर नवांगत
रणवासी
(बासी)
चाखरा
(बासी)


ग्राम सोलंकी ग्राम वनाधिकारी
(भूमि) सामग्री वनाधिकारी
वनाधिकारी वनाधिकारी
पंचायत समिति किशनगंज

आज दिनांक २०.०७.२०१५ को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आहूत की गयी जिसमें वन क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क गवर्गाड से रणवासी के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या ०३ का ग्राम स्तरीय समिति द्वारा निर्माण हेतु अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परपरागत वननिवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम २००६ की धारा ३(२) के एवं नियम २००८ के अंतर्गत उक्त प्रस्तावित वनभूमि पर कोई दावे नीति नहीं हैं अतः सर्वसम्मति से उक्त सड़क को उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंषा की जाती है। सड़क के प्रस्तावित मार्ग में आने वाली वन एवं गैर वन भूमि का ग्राम वार विवरण निम्न प्रकार से है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक १११ पर इन्द्राज है तथा ग्राम सभा में ५०% से अधिक सदस्यों द्वारा अपस्थिति दर्ज कराई गयी।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में	सड़क के एलाइनमेंट में पड़ने वाली गैर वन भूमि का विवरण हेक्टेयर में
1	रामनगर नवागांव	1.76	1.51
2	रणवासी	0.74	1.44
कुल		2.50 हेक्टेयर	2.95 हेक्टेयर

Rajendra Sodhi
समस्पृश
ग्राम पंचायत
परगाड़ केशनगंज
पंचायत समिति किशनगंज


१०८
राजेन्द्र सोद्धी
इस्ताधर जुर्नाल
परगाड़ समिति किशनगंज (बारी)
तट्टू केशनगंज


गोपाल पेटल, पटना समिति
सचिव ग्राम पंचायत
म० किशनगंज (बारी)
ग्राम पंचायत खाखरा
पंचायत समिति किशनगंज

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत/न्याय उप-समिति -१२१२

— पंचायत समिति — किंवद्गारी

जिला वार्ता

11

Prajender Sodhi

संस्कृत

~~ग्राम पंचायत, पद्मनाथपुर~~

ग्राम पंचायत खाँखरा